

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पूआईडी संख्या: UPFS/2020/16430/MRB/MORADABAD/168/CFO

दिनांक: 09-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **93, 90, 88, VILL- GOVINDPUR DHYAN SINGH, SHERWA HAKIMPUR ROAD NEAR KOKARPUR, Moradabad** तहसील - **Kanth** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAINBOW PUBLIC SCHOOL	3	0	10.07 mt.

तथा प्लॉट एरिया **7776.82 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एनबीसी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-04-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KAILASH BHATT, renukailash15000@gmail.com, 9219615000** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एनबीसी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-04-2024** से **10-04-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : एफएसएसओ श्री मोहित कुमार द्वारा आवेदन पर अपलोड मानचित्र एवं अभिलेखों का परीक्षण तथा प्रश्रुत भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो आवेदक द्वारा पत्रांक स-28/सीएफओ-एमडीडी-स्कूल-16 दिनांक नवम्बर 23,2016 को अपलोड किया गया है, जिसके अनुसार भवन शासनादेश संख्या 18/छ.-पु0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0दिनांक 07-01-2022 के अन्तर्गत आता है। भवन में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था एवं ढांचागत व्यवस्थाएँ उक्त शासनादेश, एनबीसी 2005 एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित पायी गयी जिसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने कि जिम्मेदारी भवन अधिभोगी कि होगी तथा विद्युत व्यवस्थापन की जाँच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से करा ली जाए। एफएसएसओ कि संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CF11EFC241D0E9]

10-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-04-2024
स्थान : MORADABAD